संख्या– 1246/2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमवुद्वनगर/कानुपर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 19 जुलाई, 2021

विषयः– उच्च कोविड धनात्मकता वाले प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रियों की यात्रा पूर्व कोविड जांच के संवंध में।

महोदय,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में कोविड संचरण की स्थिति पर वर्तमान में काफी हद तक प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोविड धनात्मक दर .04 % है जवकि देश के अन्य अनेक प्रदेशों में यह दर अभी भी उच्च वनी हुई है। अनेक विपय विशेपज्ञों तथा आई.सी.एम.आर. के द्वारा माह अगस्त के अन्तिम सप्ताह से देश में कोविड महामारी की तीसरी लहर की सम्भावना व्यक्त की गयी है। ऐसे में आवश्यक है कि प्रदेश में कोविड रोग के नये संचरण के मामलों की सम्भावना को रोकते हुए वर्तमान न्यून कोविड धनात्मक दर को स्थापित रखे जाने हेतु आवश्यक सभी उपाय अपनाये जायं तथा कोविड संचरण के नये मामलों को रोकने के लिए उचित व्यवस्था स्थापित की जाय।

2. इस संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश स्तर से प्रत्येक माह में दो वार 3 % अथवा इससे अधिक कोविड धनात्मकता वाले राज्यों की सूचियॉ स्वास्थ्य विभाग की वेवसाइड पर प्रकाशित की जायं, जहॉ से आने वाले यात्रियों को उत्तर प्रदेश में यात्रा से पूर्व के 03 दिवसों में आई.टी.पी.सी.आर. ऋणात्मक जॉच अथवा यात्री के कोविड टीकाकरण से पूर्ण आच्छादित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3. उपरांक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, अन्तर्राज्यीय वस स्टेशन तथा उच्च केस लोड वाले प्रदेशों से आने वाले यात्रियों की उनके आगमन स्थल पर गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021 के अनुसार स्क्रीनिंग एवं एण्टीजन टेस्टिंग भी की जायेगी जिससे लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार हेतु अस्पताल रेफर किया जा सके। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होंगी।

4. कृपया उक्त निर्देशों के कम में जनपद के जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से अपने–अपने जनपदों में उक्त व्यवस्था लागू किये जाने संवंधी आगमन स्थलों की विवरणवार रिपोर्ट दिनांक 23.07.2021 तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या–1536/पॉच–5–2021, दिनांक 17.07.2021 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(मनोज वर्मा)
अनु सचिव।

State Control Room, Integrated Disease Surveillance Programme
Vector Borne Disease Division
Directorate of Health Services, Uttar Pradesh Lucknow
Travel Alert for COVID-2019

IMPORTANT TRAVEL ADVISORIES FOR TRAVELERS COMING TO UTTAR PRADESH FROM HIGH COVID POSITIVITY STATES

ADVISORY ONE (FOR TARVELERS REACHING UTTAR PRADESH BETWEEN OCTOBER 16-31, 2021)

Travelers coming to Uttar Pradesh from high COVID positivity states (States of Mizoram, Kerala, , Manipur, Sikkim or Meghalaya) between 16th October to 31st October ,2021 must make one of the following documents available at the point of entry into Uttar Pradesh -

1. Negative report for a RTPCR COVID sample collected between 12th to 15th of October, 2021.
2. Certificate of complete vaccination (Having received both doses of a vaccine) for COVID.
3. If an inbound traveler from above mentioned states does not have either of these two certificates, he/she will be tested for COVID through Antigen kit immediately and, upon testing negative by Antigen kit, another sample would be collected and sent for RTPCR COVID Test. The traveler would then stay under home quarantine and will be allowed normal movement only if he/she has tested RTPCR Negative for COVID.
4. If the traveler tests COVID Positive through any method, Antigen/ Trunet/ RTPCR , he/she will follow the prevailing state guidelines for Isolation of COVID Positive patients.

We request your cooperation and wish you a Happy, Healthy and Safe stay in Uttar Pradesh.

उच्च कोविड धनात्मकता वाले प्रदेशों (मिजोरम, केरल, मणिपुर, सिक्किम अथवा मेघालय से 16 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश में आने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इन तिथियों के मध्य उत्तर प्रदेश में आगमन हेतु आपको निम्न में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा –

1. दिनांक 12 से 15 अक्टूबर, 2021 के मध्य कोविड जाँच हेतु दिए गए आर0टी0पी0सी0आर0 सैंपल की ऋणात्मक रिपोर्ट।
2. कोविड के पूर्ण टीकाकरण (वैक्सीन की दोनों डोज लग जाने) का प्रमाण पत्र।
3. यदि उपरोक्त राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले किसी यात्री के पास उपरोक्त दोनों में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो ऐसे यात्री की तत्काल एंटीजन विधि से कोविड हेतु जाँच की जाएगी। इस जाँच के ऋणात्मक आने की स्थिति में एक अन्य सैंपल आर0टी0पी0सी0आर0 विधि से कोविड जाँच हेतु एकत्र किया जायेगा। इसके उपरांत यात्री होम क्वारंटाइन में प्रवास करेगा तथा आर0टी0पी0सी0आर विधि से ऋणात्मक आने के उपरांत ही सामान्य गतिविधियाँ संचालित कर पायेगा ।
4. यदि यात्री एंटीजन, ट्रूनेट , आर0टी0पी0सी0आर इत्यादि किसी भी जाँच में कोविड धनात्मक पाया जाता है तो ऐसे यात्री के द्वारा कोविड धनात्मक रोगियों हेतु तत्समय प्रचलित आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उत्तर प्रदेश में आपके स्वस्थ एवं सुरक्षित प्रवास की कामना करते हैं ।

State Surveillance Officer
Uttar Pradesh